कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 1512/ 14–1, दिनांक, नवम्बर, 22 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– बिजनौर–नूरपुर–छजलेट मार्ग (एन0एच0–76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों की पातन अनुमति के संबध में।

सन्दर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 90 / 2016 / एफ0सी0 / 341 दिनांक 20–10–2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है अतः प्रभागीय निदेशक, बिजनौर से प्राप्त प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है :–

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
1.	The proposal has been submitted without index and page number. The proposal papers have been submitted in a haphazard manner.	विषय सूची बनाकर, सम्पूर्ण प्रस्ताव की सही तरीके से पेज संख्या अंकित कर दी गई है।
2.	The kml file uploaded for proposed forest land diversion with the online proposal is not opening on Google earth platform.	के0एम0एल0 फाईल से संबन्धित सी0डी0 प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई। (प्रस्ताव **के बायी और संलग्न है)**
3.	The topo sheet showing location of proposed forest land diversion is without index and legend.	टोपी शीट पर इन्डेक्स एवं लीजेण्ड अंकित कर दिया गया है। **(पेज संख्या 30 पर संलग्न है)**
4.	The geo referenced map uploaded with the proposal does not provided geo coordinates of key points.	जियो रेफ्रेन्स मेप में अंकित क्रमांक के द्वारा जियों कोर्डीनेट, जियो रेफ्रेन्स मेप के दायी और क्रमांक से दर्शाये गये है। **(पेज संख्या 31 पर संलग्न है)**
5.	The cost benefit analysis as per MOEF guidelines suffer from lot of discrepancy and inconsistencies. The same need revision.	Cost benefit analysis MOEF द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के आधार पर पुनः बनाकर संलग्न कर दिया गया है। **(पेज संख्या 68–70 पर संलग्न है)**
6.	The proposal has been submitted without detailed land sehedule showing width ot ROW, requirement of protected forest width, balance width of PF etc chainage wise as well as on RHS and LHS. Due to absence of details. It is difficult to ascertain exact requirement of forest land for proposal.	अवशेष संरक्षित वन भूमि का सारांश, चैनेज वार एवं साईडवार बनाकर संलग्न कर दिया गया है। **(पेज संख्या 63 पर संलग्न है)**
7.	The information provided in Sr. no. 8(i) of part II of the proposal is irrelevant.	संशोधित कर दिया गया है। **(पेज संख्या 13 पर संलग्न है)**

8.	The information provided for employment generation in part I (Online) on page 20 are at variance.	संशोधित कर दिया गया है। **(पेज संख्या 07 पर संलग्न है)**
9.	The site inspection report at page no. 48 mentions about existence of rere/ endangered / unique species of flora and funna but the details have not been provided with the proposal. Comments of Chief Wild Life Warden are also required.	साइट इन्सपेक्शन रिर्पोट पुनः संशोधन कर संलग्न कर दी गई है। **(पेज संख्या 58 पर संलग्न है)**
10.	The district/division profile on page 49 and online part II are at variance.	आफलाइन में संशोधित कर दिया गया है। **(पेज संख्या 22 पर संलग्न है)**
11.	The information regarding cost of CA proposed at 13 (i) is incorrect.	क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि को आनलाइन संशोधित कर दिया गया है। **(पेज संख्या 13 पर संलग्न है)**
12.	The compensatory afforestation scheme has been prepared without incorporating provision for cost escalation.	क्षतिपूरक वनीकरण से संबन्धित प्राक्कलन को नोडल अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित मानकों के आधार पर संशोधित कर संलग्न कर दिये गये है। **(पेज संख्या 37 से 46 पर संलग्न है)**
13.	The information given against column no. 12 of part -2 appears to be wrong.	संशोधित कर, संलग्न कर दी गई है। **(पेज संख्या 13 पर संलग्न है)**
14.	The site inspection report of DFO shows that the forest involved are RF/unclassed/ protected forest but the details given in the proposal does not match with this. Further, there is no specific recommendation in the site inspection report.	प्रभागीय निदेशक, बिजनौर द्वारा निरीक्षण रिर्पोट पर संस्तुति कर दी गई है। **(पेज संख्या 58 पर संलग्न है)**
15.	The area involved is more than 40 ha. But inspection report of CF has not been attached.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण टिप्पणी पेज सं0 23अ पर संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि (प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में एवं 3 सी0डी0)।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :– 1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बिजनौर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकरी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(संलग्नक–प्रस्ताव 3 प्रतियों में)**

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।